# राजस्थान सरकार
# समेकित बाल विकास सेवाएं

क्रमांकः F 7( ) Training /ICDS/09 / जयपुर दिनांक

## परिपत्र

प्रायः यह देखने में आया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र में आयोजित होने वाले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं के कार्य/पुनश्चर्या एवं ओरियन्टेशन प्रशिक्षणों में नामांकित संख्या के अनुसार उपस्थिति नहीं होती है। लगभग प्रत्येक प्रशिक्षण में नामांकित संख्या से कम संख्या में उपस्थिति रहती है।

अतः समस्त उपनिदेशक,बाल विकास परियोजना अधिकारी इस बात का ध्यान रखे कि प्रशिक्षणों में उपस्थिति शतः प्रतिशत रहे। आप सभी को कलेण्डर भिजवाया गया है। कलेण्डर के अनुसार आप यह सुनिश्चित करे कि समय रहते कार्यकर्ता/सहायिका का प्रशिक्षण सूचना दे। समय पर सूचित रहने पर भी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका प्रशिक्षण में नहीं जाती है, उन्हें स्पष्ट निर्देश दे कि यदि वह प्रशिक्षण में उपस्थित नहीं होगी तो ऐसी कार्यकर्ता/सहायिका के चयन को निरस्त कर दिया जावेगा। इस संबंध में कार्यवाही बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा की जावे।

यहां यह भी उल्लेख है कि प्रशिक्षणो में नामांकन हेतु संख्या का निर्धारण परियोजनाओं द्वारा भेजी गयी अप्रशिक्षितों की सूचना के आधार पर ही किया जाता है। अतः भविष्य में अप्रशिक्षित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं/ सहायिकाओं की सूचना सही भिजवायी जावे। सही सूचना नहीं भेजे जाने की स्थिति में संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में ली जावेगी।

निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः F 7( ) Training /ICDS/09 / 6361-672 जयपुर दिनांक 11-9-09

**प्रतिलिपिः- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।**

1. समस्त उपनिदेशक (बाल विकास), समेकित बाल विकास सेवाएं
2. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवाएं
3. प्रोग्रामर को विभागीय वैबसाईट पर अपडेड करने हेतु।

उपनिदेशक (प्रशिक्षण)
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान, जयपुर